न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम सं. 01, जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : विजय टांक, आर.जे.एस.

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या : 980/2014 रे.फौ.
(सीआईएस नम्बर : 980/2014)
(सी.एन.आर. सं.–RJUD020006002012)
प्र.सू.रि.सं. 399/2011 पुलिस थाना– गोवर्धनविलास, उदयपुर

राजस्थान राज्य

बनाम

सुनिल पिता चमनलाल, उम्र वयस्क, निवासी– 05/107 आर.एच.बी. कॉलोनी, सेक्टर नं. 14, पुलिस थाना गोवर्धनविलास, जिला उदयपुर (राज.)

..........अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 420, 406 भा0दं0स0

1. राज्य की ओर से – सहायक अभियोजन अधिकारी
2. अभियुक्त की ओर से – अधिवक्ता श्री त्रिभुवन सिंह चौहान।

निर्णय

दिनांकः 29.07.2026

01. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादीया श्रीमती कुसुम कुंवर ने एक इस्तगासा दिनांक 08.11.2011 को अन्तर्गत धारा 156(3) न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि उसके एवं उसके पुत्र व पुत्री के स्वामित्व एवं आधिपत्य का आबादी का मकान वाके राजस्व ग्राम सिहाड, ग्राम पंचायत सिहाड़, उप तहसील भीण्डर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर में आबादी भूमि में स्थित है। उक्त आबादी मकान का कुलिया क्षेत्रफल 1798 वर्गफीट है, उक्त मकान को परिवादीया के स्व. पति हरमेन्द्र सिह ने एक रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 19.05.1993 को लक्ष्मणसिंह से क्रय किया था। उनके स्वर्गवास के पश्चात् उक्त मकान पर परिवादीया व उसके पुत्र व पुत्री वारिस होने के नाते उनका कब्जा है। उक्त मकान को परिवादी पक्ष द्वारा दिनांक 10.08.2011 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अभियुक्त सुनिल को राशि 2,11,000/– रूपये में विक्रय किया व विक्रय कुलिया राशि में से राशि 50,000/– जरिये चैक नंबर 622851 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सेक्टर नंबर 11, उदयपुर दिनांक 01.09.2011 का दिया व बकाया राशि फर्दन–फर्दन नकर प्राप्त करना बताया परन्तु उक्त व्यक्ति द्वारा विक्रय पत्र का निष्पादन होते ही जो बकाया राशि फर्दन–फर्दन कर बताया गया उसमें

से मात्र 1,00,000 रूपये ही दिये गये एवं जो चैक विक्रय पत्र में अंकित किया गया वह उसके द्वारा कहीं खो जाना बताया, जिसपर अलग से चैक दिया गया। उक्त संबंध में परिवादीया के पुत्र से उक्त अभियुक्त ने अलग से एक शपथ पत्र निष्पादित करवा लिया कि उक्त चैक उससे कहीं गुम हो गया व उसके बदले चैक संख्या 622852 राशि 50,000/– का दिनांक 01.09.2011 का दिया जिसे बैंक में प्रस्तुत कर राशि प्राप्त कर लेना व बकाया राशि उसके द्वारा करीब एक माह के भीतर भुगतान कर दी जायेगी। परिवादीया व उसके पुत्र द्वारा बार–बार रूपयों की मांग करने पर अभियुक्त ने कोई बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। अभियुक्त ने उक्त मकान पर बिना भुगतान किये ही कब्जा कर लिया व मकान की तोड़फोड़ कर दी। उक्त बात की जानकारी होने पर परिवादीया व अभियुक्त ने पुनः अभियुक्त से बकाया राशि के भुगतान की मांग की तो अभियुक्त ने राशि नहीं लौटाई। मकान की चाबी परिवादी पक्ष के पास है, जो उक्त व्यक्ति ने ताला तोड़कर व जे.सी.बी. लगाकर मकान में तोड़फोड़ कर दी। उक्त चैक परिवादीया के पुत्र द्वारा बैंक में प्रस्तुत किया तो उक्त चैक भी अनादरित हो गया व चैक रिटर्न का कारण पेमेन्ट रूकवा दिया जाना बताया गया। परिवादीया ने अभियुक्त को उक्त चैक के अनादरण की सूचना दी तो उक्त व्यक्ति ने बकाया राशि का भुगतान राशि उसके पास होने पर देने व परेशान करने पर राशि का भुगतान नहीं करने का कथन किया व कथन किया। अभियुक्त आये दिन बार–बार घर आकर जान से मारने की धमकियां दे रहा है। अभियुक्त ने धोखाधड़ी कर मकान का कब्जा प्राप्त कर लिया व बकाया राशि देने में आनाकानी कर रहा है। अभियुक्त ने मकान का सौदा तय कर धोखाधड़ी पूर्वक सुनियोजित ढंग से परिवादी पक्ष को विश्वास में लेकर उक्त मकान की रजिस्ट्री करवा लली व बकाया राशि नहीं देकर धोखाधड़ी कारित की है.....वगैरह। उक्त ईस्तगासे पर पर पुलिस थाना गोवर्धनविलास, जिला उदयपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 399/11 पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया। बाद अनुसंधान अभियुक्त सुनिल के विरुद्ध धारा 420, 406 भा.दं.सं के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 406 भा.दं.सं में प्रसंज्ञान लिया गया।

02. न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दिनांक 11.08.2016 को धारा 420, 406 भा.दं.सं का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये। तो अभियुक्त ने आरोपों को सुन व समझकर इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

03. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये :—

क.सं.	**अभियोजन साक्षी कमांक**	**गवाह का नाम**
1.	पीडब्ल्यू 1	शेरसिंह राजावात
2.	पी.डब्ल्यू 2	कुसुम कुंवर
3.	पी.डब्ल्यू 3	नागेन्द्र सिंह
4.	पी.डब्ल्यू 4	रूप कुंवर
5.	पी.डब्ल्यू 5	पुष्पेन्द्र सिंह
6.	पी.डब्ल्यू 6	लाखन सिंह
7.	पी.डब्ल्यू 7	नानालाल

दस्तावेजी साक्ष्य :—

प्रदर्श	**दस्तावेज**
प्रदर्श पी—01	इस्तगासा
प्रदर्श पी—02	रजिस्टर्ड विक्रयपत्र 10.08.2011
प्रदर्श पी—03	विक्रय पत्र 19.05.1993
प्रदर्श पी—03	शपथ पत्र नवीन चैक प्राप्त करने का
प्रदर्श पी—04	असल चैक क्रमांक 622852
प्रदर्श पी—05	रिर्टन मैमो

04. अभियुक्त के बयान मुल्जिम 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने बयान मुल्जिम में स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाने का कथन किया एवं साक्ष्य प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

05. बहस अंतिम उभयपक्षकारान सुनी गई।

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। सहायक अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस कथन किया है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने के लिए पर्याप्त है। अभियुक्त ने विधवा महिला को प्रवंचित कर मकान की रजिस्ट्री करवा ली किन्तु रजिस्ट्री में वर्णित राशि का पूर्ण भूगतान नहीं किया। अभियुक्त के पास कोई ठोस बचाव आधार नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जावे।

अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस कथन किया है प्रकरण में गवाहान् के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। असल में परिवादी पक्ष ने अभियुक्त को कम जमीन दी एवं उक्त बात की कार्यवाही से बचने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध यह झूंठा मुकदमा किया है। प्रकरण में विक्रय ईकरार निष्पादित हुआ उस समय सारा भुगतान किया जा चुका था तथा कथित विवादित स्टाम्प प्रदर्श पी–03 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर ही नहीं है। परिवादी पक्ष ने पूर्णतया झूठा मुकदमा बनाया है। अभियुक्त को दोषसिद्ध करने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

06. न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न है कि –

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.08.2011 को परिवादी पक्ष से ग्राम पंचायत सिहाड़ के आबादी में स्थित मकान को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय किया किन्तु परिवादी पक्ष को प्रवचिंत कर विक्रय प्रतिफल की पूर्ण राशि अदा नहीं की गई एवं परिवादी पक्ष को हानि कारित कर छल एवं आपराधिक न्यास भंग कारित किया?"

यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा?

विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण **गवाह पी.ड. 02 श्रीमती कुसुम कुंवर** है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सारतः यह कथन किये है कि उसके पति हरमेन्द्र सिंह द्वारा एक आवासीय मकान लक्ष्मण सिंह से क्रय किया। पति की मृत्यु के पश्चात् उक्त मकान को उसने व उसके पुत्र नागेन्द्र सिंह व पुष्पेन्द्र सिंह तथा पुत्री रूपकुंवर ने सुनिल को 2,11,000/– रूपये में विक्रय किया और मकान की रजिस्ट्री सुनिल के नाम करवाई। सुनिल ने उन्हें 1,11,000/– रूपये नकद दिये थे व 1,00,000/– रूपये बकाया थे, जिसमें से 50,000/– रूपये का चैक दिया। वह चैक गुम हो जाने पर उसने दूसरा चैक दिया जो बैंक में पेश करने पर बाउंस हो गया और बाकी के 50,000/– रूपये भी सुनिल ने उन्हें नहीं दिये। उन्होंने कई बार बाकी रूपयों का तकाजा किया किन्तु सुनिल ने बाकी के एक लाख रूपये नहीं दिये। सुनिल ने मकान पर कब्जा कर उक्त मकान की रजिस्ट्री करवाकर विक्रय प्रतिफल की बकाया राशि नहीं देकर धोखाधड़ी की। जिसका उसने कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया जो प्रदर्श पी–01 है, सुनिल को बेचे

मकान का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श पी–02 है, उक्त मकान जो उसके पति हरमेन्द्र द्वारा लक्ष्मण सिंह से खरीदा गया उसकी रजिस्ट्री प्रदर्श पी–03 है तथा गवाह ने उससे संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने के कथन किये हैं।

गवाह को जिरह में सुझाये गये प्रश्न के प्रत्युत्तर में गवाह ने कथन किया कि रजिस्ट्री राजीखुशी करवाई थी। यह सही है कि रजिस्ट्री में जो चैक मेंशन किया था वो बैंक में पेश नहीं हुआ, न ही बाउंस हुआ। रजिस्ट्री प्रदर्श पी–02 का ए से बी भाग गलत लिखा है, अजखुदा कहा कि 1,11,000 रूपये बाकी थे। उसे सुनिल ने चैक नं. 51 के पेटे कोई दूसरा चैक नहीं दिया।

इस प्रकार गवाह के बयानों का अवलोकन किया जाये तो गवाह प्रकरण में परिवादीया होकर अत्यन्त महत्वपूर्ण गवाह है, जिसने स्पष्ट रूप से अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त सुनिल के पक्ष में मकान की रजिस्ट्री प्रदर्श पी–02 करवाने के कथन किये है एवं रजिस्ट्री में वर्णित कुल विक्रय प्रतिफल राशि 2,11,000/– में से राशि 1,11,000/– रूपये बकाया होने के कथन किये है एवं शेष 50 हजार रूपये नकद व 50 हजार रूपये के चैक का भुगतान नहीं होने का कथन किया है। गवाह ने जिरह में कोई तात्विक विरोधाभासी कथन नहीं किये है।

अभियोजन की मुख्य रूप से कहानी यही है कि अभियुक्त ने परिवादी पक्ष से मकान की रजिस्ट्री करवा रजिस्ट्री में वर्णित राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया एवं चैक नंबर 622851 जो कि रजिस्ट्री में अभिवर्णित था, के स्थान पर उक्त चैक गुम हो जाने के कारण चैक नंबर 622852 दिया, जिसका भी भुगतान नहीं हुआ। गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में दूसरा चैक अभियुक्त द्वारा उसके पुत्र नागेन्द्र सिंह को देना बताया है। जिरह में गवाह को यह भी सुझाया गया कि रजिस्ट्री में वर्णित चैक के पेटे दूसरा चैक उसे नहीं दिया, जिसको गवाह ने सही होना स्वीकार किया किन्तु गवाह ने पहले से यह स्पष्ट किया है कि अभियुक्त ने दूसरा चैक नंबर 622852 उसके पुत्र के नाम से दिया था।

गवाह ने अपने बयानों में यद्यपि जो राशि उसे नहीं मिली, उसके संबंध में कुछ विरोधाभसी कथन तो किये है, किन्तु गवाह ने स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य दी है कि रजिस्ट्री के पेटे अभियुक्त ने उसे पूर्ण प्रतिफल की राशि अदा नहीं की। **यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के पक्ष में रजिस्ट्री प्रदर्श पी–02 करवाई गई एवं उसमें चैक नंबर 622851 से 50,000/– रूपये**

देना वर्णित है, किन्तु उक्त चैक राशि का परिवादी पक्ष को भुगतान हो गया हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य अभियुक्त की ओर से पेश नहीं की गई है।

निश्तिच तौर पर गवाह के बयानों से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त ने गवाह को प्रवंचित कर मकान की रजिस्ट्री करवाई एवं तदुपरान्त रजिस्ट्री के पेटे विक्रय प्रतिफल राशि का पूर्ण भूगतान नहीं किया। इसके अतिरिक्त, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त ने न्यासभंग किया हो, ऐसी कोई स्पष्ट साक्ष्य गवाह ने नहीं दी, न ही ऐसे कोई तथ्य आये है कि अमुख राशि अभियुक्त को न्यस्त की गई हो और उसका दुविर्नियोग किया गया हो।

इसी अनुक्रम में **गवाह पी.ड. 03 नागेन्द्र सिंह** के बयानों का अवलोकन किया जाये तो उक्त गवाह अत्यन्त महत्वपूर्ण गवाह है, जिसके रजिस्ट्री प्रदर्श पी–02 पर हस्ताक्षर है एवं गवाह विक्रय पत्र प्रदर्श–02 का निष्पादनकर्ता भी है। गवाह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उन्होंने गांव सिंहाड़ की आबादी में स्थित मकान का राशि 2,11,000/– रूपये में अभियुक्त सुनिल को बैचान किया था, बेचाननामे के पेटे सुनिल ने उसे दो चैक दिये थे। 50,000/– रूपये का चैक गुम हो गया था तथा 61,000/– रूपये नकद देने की बात कही थी। जो चैक गुम हुआ उसके बदले एफिडेविट लिखवा कर नया चैक सुनिल ने उसे दिया था। चैक गुम होने पर उससे एफिडेविट लिया था जो प्रदर्श पी–03 है, गुम हुए चैक के बदले सुनिल ने उसके नाम का 50,000/– रूपये का दूसरा चैक दिया जो प्रदर्श पी–04 है, उक्त चैक को बैंक में पेश करने पर रिर्टन हो गया जिसका रिर्टन मेमो प्रदर्श पी–05 है तथा बकाया राशि 61,000/– रूपये नगद देने की बात थी जो भी सुनिल ने उन्हें नहीं दिये तथा 50,000/– रूपये का चैक जो बाउन्स कराया वो भी सुनिल द्वारा उन्हें नहीं दिये।

इस प्रकार उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से अभियुक्त सुनिल के विरूद्ध यह कथन किया है कि अभियुक्त ने गवाह को प्रवंचित कर उनके मकान की रजिस्ट्री प्रदर्श पी–02 अपने पक्ष में निष्पादित करवाई एवं विक्रय प्रतिफल की पूर्ण राशि परिवादी पक्ष को अदा नहीं की। गवाह का यह भी कथन है कि 50,000/– रूपये का चैक गुम होने के कारण अभियुक्त ने गवाह से शपथ पत्र लिखवाकर लिया था तथा रजिस्ट्री में वर्णित चैक नंबर 622851 के पेटे दूसरा चैक 622852 दिया, जिसका भी भुगतान नहीं हुआ।

गवाह से की गई जिरह का अवलोकन किया जाये तो गवाह को मुख्य रूप से यह सुझाया गया है कि स्टाम्प प्रदर्श पी–03 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं है, जिसका गवाह ने सकारात्मक उत्तर दिया। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह सही है कि दूसरी बार जो चैक दिया उसका रजिस्ट्री प्रदर्श पी–02 में कोई हवाला नहीं है। यह सही है कि सुनिल ने कोई लिखत इस बाबत् नहीं करके दी कि चैक संख्या 52 तथाकथित चैक संख्या 51 के बदले दिया था।

इस प्रकार उक्त गवाह की जिरह का अवलोकन किया जाये तो मुख्य रूप से गवाह को यह सुझाने का प्रयास किया गया है कि कथित चैक गुम होने के संबंध में जो स्टाम्प लिखवाया गया है, उस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं है, जिसका गवाह ने सकारात्मक उत्तर दिया है, किन्तु मात्र स्टाम्प प्रदर्श पी–03 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं होने से अभियोजन कहानी पर संदेह उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, **क्योंकि रजिस्ट्री प्रदर्श पी–02 में जो चैक वर्णित है, उसका भुगतान परिवादी पक्ष को हो गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य अभियुक्त पक्ष ने नहीं दी एवं पत्रावली पर अन्य जो चैक प्रदर्श पी–04 मौजूद है, वह अभियुक्त ने किस पैटे परिवादी पक्ष को दिया, यह भी अभियुक्त की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है।**

ऐसे में अभियोजन कहानी को बल मिलता हुआ दर्शित होता है एवं यह भी दर्शित होता है कि अभियुक्त ने परिवादी पक्ष को प्रवंचित कर आबादी भूमि का विक्रय पत्र प्रदर्श पी–02 निष्पादित कराया एवं विक्रय प्रतिफल की पूर्ण राशि का भुगतान परिवादी पक्ष को नहीं किया है।

इसी अनुक्रम में गवाह **पी.ड. 04 रूप कुंवर** के बयानों का अवलोकन किया जाये तो गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उनके गांव सिहाड़ में आबादी मकान 2,11,000/– रूपये में सुनिल को बैचना तय कर रजिस्ट्री करवाई थी। 1,00,000/– रूपये सुनिल ने उन्हें नकद दिये थे। 50,000/– रूपये का चैक दिया व 61,000/– रूपये बाद में देना तय किया था। जैसे ही वे रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर निकले और कार में बैठे सुनिल ने सूटकेस खोला और बताया कि 50,000/– रूपये का चैक दे दिया है, जबकि उन्हें चैक दिया ही नहीं था। फिर सुनिल ने उसके भाई से चैक गुम होने का एफिडेविट लिखवाया, जिसके बाद में एक अन्य चैक दिया वो भी चैक फ्रॉड निकला। 61,000/– नकद देने की बात की थी जो सुनिल ने उन्हें नहीं दिये।

उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से अपनी मुख्य परीक्षा में गवाह पी.ड. 02 श्रीमती कुसुम कुंवर व पी.ड. 03 नागेन्द्र सिंह के बयानों की ताईद करते हुए कथन किये है एवं गवाह ने स्पष्ट कथन किये है कि अभियुक्त ने परिवादी पक्ष को प्रवंचित कर विक्रय प्रतिफल राशि का पूर्ण भूगतान नहीं किया है।

गवाह को जिरह में सुझाया गया कि गुम हुआ चैक व नये चैक के नंबर, तारीख अमाउण्न्ट क्या है, जिसका गवाह ने याद हो से इन्कार किया। प्रदर्श पी–02 रजिस्ट्री का ए से बी भाग गवाह ने गलत लिखा होना बताया तथा कथन किया कि 61,000/– रूपये नकद रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर जाकर देने की बात कहीं थी, जो नहीं दिये थे।

इस प्रकार उक्त गवाह ने अभियुक्त के बचाव आधार को अपनी जिरह में नकारते हुए अभियोजन कहानी की पुष्टि की है।

इसी अनुक्रम में **गवाह पी.ड. 05 पुष्पेन्द्र सिंह** के बयानों का अवलोकन किया जाये तो गवाह ने सारतः अपनी मुख्य परीक्षा में परिवादीया पी.ड. 02 कुसुम कुंवर, गवाह पी.ड. 03 नागेन्द्र सिंह, पी.ड. 04 रूप कुंवर के बयानों की ताईद करते हुए उनके गांव सिहाड़ आबादी में स्थित मकान को सुनिल सुहालका को 2,11,000/– रूपये में रजिस्ट्री कर बैचान करने व उक्त विक्रय प्रतिफल की राशि का पूर्ण भूगतान अभियुक्त द्वारा उन्हें नहीं देने के कथन किये है।

उक्त गवाह ने जिरह में ऐसे कोई तात्विक विरोधाभासी कथन नहीं किये है जो संपूर्ण अभियोजन कहानी को संदेहास्पद करती हो।

इसी अनुक्रम में गवाह **पी.ड. 06 लाखन सिंह** के बयानों का अवलोकन किया जाये तो उक्त गवाह प्रकरण में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण गवाह है, जिसने कि प्रकरण में विवादित रजिस्ट्री प्रदर्श पी–02 टाईप की है, गवाह ने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि कुसुम उनकी परिचीत है तथा उनकी दुकान पर सुनिल आया था, जिन्होंने रजिस्ट्री टाईप करवाई थी। रजिस्ट्री में क्रेता सुनिल एवं विक्रेता श्रीमती कुंवर व उनके लड़का–लड़की है। रजिस्ट्री में वह गवाह के रूप में उपस्थित था। रजिस्ट्री होने के बाद जब पेमेन्ट के लेन–देन की बात हुई तब सुनिल ने एक चैक 50,000/– रूपये का कहीं पर गुम होना बताया और नहीं मिलने का कथन किया। फिर सुनिल ने कहा कि उक्त चैक के बदले दूसरा चैक दे रहा है, उसने लिखापढ़ी के लिए 50 रूपये का स्टाम्प मंगवाया तथा दूसरा चैक दिया, जिसका उक्त रजिस्ट्री प्रदर्श पी–02 में अंकन नहीं था, दूसरा चैक पास नहीं हुआ। साथ ही गवाह रजिस्ट्री प्रदर्श पी–02 पर अपने हस्ताक्षर होने के कथन करता है।

उक्त गवाह ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कहानी की पूर्ण रूप से ताईद की है। गवाह ने कथन किया कि अभियुक्त ने रजिस्ट्री प्रदर्श पी–02 में वर्णित चैक के गुम होने का कथन करते हुए दूसरा चैक परिवादी पक्ष को उनसे स्टाम्प लिखवाकर दिया किन्तु बाद में उसका भुगतान नहीं हुआ। **गवाह को जिरह में सुझाया गया कि रजिस्ट्री से पहले पेमेन्ट का भुगतान किया जाता है, जिसका गवाह ने उत्तर दिया कि सुनिल व कुसुम के मध्य विश्वास के कारण चैक की प्राप्ति रजिस्ट्री के समय नहीं बल्कि रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर आकर की गई।**

इस प्रकार उक्त गवाह ने जिरह में भी यह स्पष्ट किया है कि अभियुक्त व परिवादी पक्ष के वैश्वासिक संबंध थे, इसलिए विक्रय पत्र निष्पादित करते समय पूर्ण प्रतिफल रजिस्ट्री के उपरान्त लेनदेन की कार्यवाही हुई एवं सुनिल ने दूसरा चैक संख्या 622852 परिवादी पक्ष को दिया, जिसका भुगतान नहीं होने की ताईद सभी गवाहान् ने अपने बयानों में की है।

गवाह पी.ड. 01 शेरसिंह के बयानों का अवलोकन किया जाये तो उक्त गवाह परिवादीया का भाई है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सारतः कथन किया है कि उसकी बहन कुसुम, उसकी पुत्री रूप कुंवर, पुत्र नागेन्द्र सिंह व पुष्पेन्द्र सिंह ने उनके गांव सिंहाड़ की आबादी में स्थित मकान को सुनिल को 2,11,000/– में बेचान तय किया, जिसकी रजिस्ट्री करवाई, जिसमें से 50,000/– रूपये जरिये चैक नंबर 622851 एसबीआई बैंक का सुनिल ने दिया और दूसरे रूपये फर्दन–फर्दन दिये। रजिस्ट्री करवाकर कब्जा सुनिल को सुपुर्द किया। नागेन्द्र सिंह ने बताया कि सुनिल द्वारा दिया गया 50,000/– रूपये का चैक नंबर 622851 कहीं गुम हो गया है, जिस पर सुनिल ने दस रूपये के स्टाम्प पर नागेन्द्र से एफिडेविट लिखवा कर लिया और 50,000/– रूपये का चैक संख्या 622852 या जारी कर उसे दिया, जिसका भुगतान नहीं हुआ। सुनिल ने उक्त चैक को बैंक में स्टॉप पेमेन्ट करवा दिया है। इस तरह सुनिल ने विक्रय राशि में से केवल 1,00,000/– रूपये नकद दिये थे।

उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से रजिस्ट्री प्रदर्श पी–02 का पूर्ण भूगतान अभियुक्त सुनिल द्वारा परिवादी पक्ष को किया गया हो, ऐसे कथन अपनी साक्ष्य में नहीं किये है। गवाह ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि विक्रय ईकरार प्रदर्श पी–02 में जो चैक नंबर वर्णित है, उसके गुम होने का सुनिल ने कथन करते हुए नागेन्द्र सिंह से स्टाम्प लिखवाकर नया चैक दिया और उसका स्टॉप पेमेन्ट करवाकर भुगतान नहीं होने दिया।

गवाह के उक्त कथन स्पष्ट रूप से यह दर्शित करता है कि अभियुक्त सुनिल ने परिवादी पक्ष को प्रवंचित कर उनके साथ छल कर उन्हें हानि कारित की है।

जिरह में गवाह को यह सुझाया गया कि रजिस्ट्री प्रदर्श पी–02 में वर्णित ए से बी भाग भाग सहीं है, जिसका गवाह ने सकारात्मक उत्तर दिया किन्तु गवाह ने पुनः जिरह में यह भी स्पष्ट कथन किया है कि सुनिल ने नागेन्द्र सिंह से चैक नंबर 622851 के स्थान पर नवीन चैक नंबर 622852 दिया।

गवाह ने यद्यपि जिरह में कुछ विरोधाभासी कथन किये है किन्तु उक्त गवाह के बयानों से अभियोजन कहानी संदेहास्पद नहीं हो जाती तथा न ही परिवादी पक्ष के कथनों पर अविश्वास उत्पन्न होता है।

इसी अनुक्रम में **गवाह पी.ड. 07 नानालाल** के बयानों का अवलोकन किया जाये तो उक्त गवाह वादग्रस्त मकान का पड़ोसी है, जिसे अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि हरबेन्द्र सिंह की मृत्यु होने के बाद उनके वारीसान् ने अभियुक्त सुनिल को मकान का विक्रय कर दिया तथा सुनिल ने बिना परमिशन के बेसमेन्ट खोद दिया था, जिसकी उसने शिकायत थी। कुसुम ने उसे कहा कि रजिस्ट्री तो करवा दी परन्तु उसे भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। सुनिल ने यह भी कहा कि जो रजिस्ट्री में चैक अंकित किया वह गुम हो गया, इसलिए भुगतान नहीं किया।

जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि मकान बेचने के बाद भुगतान प्राप्त नहीं हुआ यह बात उसे कुसुम ने बताई थी। गवाह ने यह भी कथन किया है कि सुनिल ने उसे बताया कि उसने भुगतान हीं किया है क्योंकि मौके पर जमीन कम थी।

गवाह के बयानों का अवलोकन करे तो यद्यपि गवाह अनुश्रुत साक्षी है, किन्तु गवाह ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि कुसुम ने उसे यह बताया कि अभियुक्त सुनिल ने उसके मकान के विक्रय पेटे विक्रय प्रतिफल की राशि का पूर्ण भुगतान उसे अदा नहीं किया है। यद्यपि गवाह को जिरह में यह सुझाया गया कि मौके पर जमीन कम थी, इसलिए सुनिल ने भुगतान नहीं किया जिसका गवाह ने अभियुक्त सुनिल द्वारा उसे उक्त बात बताने का कथन किया गया है किन्तु अभियुक्त सुनिल का ऐसा बचाव आधार प्रारंभ से नहीं रहा है कि उसने पूर्ण भुगतान कम जमीन मिलने के कारण किया हो। स्पष्ट है कि मौके पर जमीन कम होती तो सुनिल नियमानुसार कार्यवाही कर सकता था, किन्तु सुनिल द्वारा इस संबंध कोई कार्यवाही की गई, ऐसा कोई

स्पष्ट बचाव आधार पत्रावली पर अभियुक्त पक्ष की ओर से दर्शित नहीं होता है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी रतन सिंह को बार–बार तलब किये जाने के पश्चात् भी गवाह उपस्थित नहीं आने से गवाह की तलबी बन्द की जाकर साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई। अतः प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी को परीक्षित नहीं करवाया जा सका।

07. इस प्रकार पत्रावली पर आई समस्त साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन करे तो प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाहान् **पी.ड. 02 कुसुम कुंवर, पी.ड. 03 नागेन्द्र सिंह, पी.ड. 04 रूप कुंवर, पी.ड. 05 पुष्पेन्द्र सिंह** ने स्पष्ट रूप से ताईद की है कि उन्होंने गांव सिंहाड़ आबादी में स्थित मकान को अभियुक्त सुनिल को 2,11,000/– रूपये में विक्रय किया, जिसमें से सुनिल ने 1,00,000/– रूपये उन्हें नकद दिये तथा 61,000/– नकद देना तय किया तथा 50,000/– रूपये का एक चैक नंबर 622851 दिया, किन्तु बाद में अभियुक्त सुनिल ने उक्त चैक के गुम होने के कारण परिवादी नागेन्द्र सिंह से एक स्टाम्प प्रदर्श पी–03 लिखवाकर लिया और उसके पेटे नवीन चैक नंबर 622852 दिया, जिसका भुगतान भी परिवादी पक्ष को नहीं हुआ।

गवाहान् ने स्पष्ट रूप से तथ्यों को इस प्रकार वर्णित किया जो यह दर्शित करता है कि अभियुक्त सुनिल का प्रारंभ से ही प्रकरण में परिवादी पक्ष के साथ प्रवंचना कर छल कारित करने का आशय रहा क्योंकि अभियुक्त सुनिल ने विक्रय पत्र प्रदर्श पी–02 के निष्पादित होने के उपरान्त उक्त विक्रय ईकरार प्रदर्श पी–02 में वर्णित चैक संख्या 622851 के गुम होने का हवाला देकर नवीन चैक संख्या 622852 दिया एवं उसका भी भुगतान परिवादी पक्ष को नहीं हुआ, जो स्पष्ट रूप से अभियुक्त सुनिल के आशय को दर्शित करता है।

अभियुक्त सुनिल का यह बचाव आधार रहा है कि नवीन चैक 622852 का हाजा प्रकरण से कोई संबंध नहीं है, किन्तु उक्त नवीन चैक प्रदर्श पी–04 अभियुक्त सुनिल परिवादी नागेन्द्र सिंह को विक्रय ईकरार प्रदर्श पी–02 निष्पादित होने के उपरान्त क्यों दिया, यह भी स्पष्ट करने में अभियुक्त सुनिल असफल रहा है।

अभियुक्त सुनिल ने अपने बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके द्वारा विवादित चैक प्रदर्श पी–04 परिवादी पक्ष को क्यों अदा किया।

इसके अतिरिक्त विवादित चैक प्रदर्श पी–04 का रिटर्न मेमो प्रदर्श पी–05 का अवलोकन किया जाये तो उक्त चैक स्टॉप पेमेन्ट के कारण अनादरित हुआ जो स्पष्ट रूप से अभियुक्त के आशय को दर्शित करता है एवं स्पष्ट होता है कि अभियुक्त ने जान–बुझकर भुगतान नहीं किया।

इस संबंध में धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का अवलोकन किया जाये तो ''***धारा 420 – छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना – जो कोई छल करेगा, और तद्द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मुल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूमि में संपरिवर्तित किये जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।''***

उक्त परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर जो साक्ष्य आई है उससे दर्शित है कि अभियुक्त सुनिल ने परिवादी पक्ष के साथ प्रवंचना कर विक्रय ईकरार प्रदर्श पी–02 निष्पादित करवाया। गवाहान् के बयानों से एवं स्वतंत्र गवाह पी.ड. 06 लाखन सिंह (जो रजिस्ट्री का गवाह है) के बयानों से स्पष्ट है कि अभियुक्त सुनिल ने परिवादी पक्ष को विश्वास में लेकर विक्रय ईकरार प्रदर्श पी–02 निष्पादित करवाया एवं कुलिया विक्रय प्रतिफल की राशि 2,11,000/– रूपये में से केवल 1,00,000/– रूपये का भुगतान किया व शेष 1,11,000/– रूपये का पूर्ण भुगतान नहीं किया।

इसके अतिरिक्त पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य का क्रमबद्ध तरीके से अवलोकन किया जाये तो स्टाम्प प्रदर्श पी–03 दिनांक 10.08.2011 को परिवादी नागेन्द्र द्वारा लिखा गया है एवं हाजा प्रकरण में रजिस्ट्री भी दिनांक 10.08.2011 को निष्पादित हुई है एवं उक्त दोनों दस्तावेज एक ही दिन निष्पादित होने से अभियोजन कहानी की पूर्णतया पुष्टि होती है एवं परिवादी व स्वतंत्र गवाह पी.ड. 06 लाखन सिंह के बयानों की भी पुष्टि होती है कि रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर आये सुनिल ने परिवादी नागेन्द्र सिंह से उक्त स्टाम्प प्रदर्श पी–03 लिखवाकर लिया तथा उसके पेटे चैक संख्या 622852 प्रदर्श पी–04 दिनांकित 01.09.2011 का परिवादी पक्ष को अदा किया, जो अनादरित हो गया एवं जिसके अनादरित होने की पुष्टि प्रदर्श पी–05 रिटर्न मेमो से होती है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त चैक का अनादरन स्टॉप पेमेन्ट के माध्यम से हुआ जो यह स्पष्ट रूप से दर्शित करता है कि अभियुक्त सुनिल ने जान–बुझकर उक्त चैक का भुगतान रूकवाया, जिससे स्पष्ट है कि

अभियुक्त ने परिवादी पक्ष के साथ प्रवंचना कर उनके साथ छल करने के आशय से उन्हें हानि पहुंचाई।

अभियुक्त ने ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जो दर्शित करे कि विक्रय पत्र प्रदर्श पी–02 में वर्णित राशि का भुगतान उसके द्वारा परिवादी पक्ष को कर दिया हो एवं पत्रावली पर मौजूद विवादित चैक प्रदर्श पी–04 एवं स्टाम्प प्रदर्श पी–03 के संयुक्त रूप से अवलोकन करने पर अभियोजन कहानी की कड़ी से कड़ी जुड़ी होना दर्शित होती है एवं अभियुक्त यह बताने में भी असफल रहा है कि उसके द्वारा चैक प्रदर्श पी–04 परिवादी को क्यों दिया। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों से अभियोजन कहानी पुष्ट होती है।

इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि परिवादी पक्ष ने विवादित मकान या अन्य कोई राशि अभियुक्त को न्यस्त की हो। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 406 को साबित करने हेतु पत्रावली पर आई साक्ष्य पर्याप्त नहीं है किन्तु जो साक्ष्य पत्रावली पर आई है उससे अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त सुनिल के विरुद्ध अभियोजन पक्ष साक्ष्य के अभाव में धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है तथा धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण स्वरूप अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया जाना तथा अपराध अन्तर्गत धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

09. अतः अभियुक्त **सुनिल पिता चमनलाल,** उम्र वयस्क, निवासी–05/107 आर.एच.बी. कॉलोनी, सेक्टर नं. 14, पुलिस थाना गोवर्धनविलास, जिला उदयपुर (राज.) को **अपराध अन्तर्गत धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है** तथा **धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के दण्डनीय अपराध के आरोप में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।**

(विजय टाँक)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
क्रम सं. 01, जिला उदयपुर (राज.)

सजा के बिन्दु पर :—

10. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया है कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अभियुक्त उसके परिवार में एकमात्र कमाने वाला है अतः अभियुक्त के विरूद्ध नरमी का रूख अख्तियार करते हुए उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। इसके विपरीत विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को सख्त सजा दिये जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली व परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का गहनता से अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि बाबत् आपराधिक रिकॉर्ड पेश किया है, जिसके अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी अन्य मामले लंबित होना दर्शित होता है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने एक विधवा महिला को प्रवंचित कर धोखे से उसका मकान क्रय कर उसे विक्रय प्रतिफल की पूर्ण राशि अदा नहीं की है, जो अत्यन्त ही गंभीर अपराध है, इसलिए अभियुक्त को परीविक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

:: दण्डादेश ::

11. परिणामस्वरूपः **अभियुक्त सुनिल पिता चमनलाल,** उम्र वयस्क, निवासी— 05/107 आर.एच.बी. कॉलोनी, सेक्टर नं. 14, पुलिस थाना गोवर्धनविलास, जिला उदयपुर (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर **तीन वर्ष के साधारण कारावास से और 5,000/— अक्षरे पांच हजार रूपये से दण्डित किया जाता है।**

अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त एक माह का साधारण कारावास मूल सजा के अतिरिक्त भुगतेगा।

अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में रही अवधि को मूल सजा में समायोजित किया जावे।

सजा वारंट नियमानुसार मुर्तिब हो।

अभियुक्त द्वारा जुर्माना की उक्त राशि जमा करवाने अथवा वसूल होने की स्थिति में बाद गुजरने मियाद अपील एवं रिवीजन, अर्थदण्ड की कुल राशि में से 3,000/— रूपये धारा 357 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिकर के रूप में परिवादीया श्रीमती कुसुम कुंवर को दिये जाने का आदेश दिया जाता है।

अभियुक्त के प्रकरण में नियमित उपस्थिति बाबत् पेशशुदा जमानत—मुचलके एतत्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

अभियुक्त की ओर से पेश धारा 437 ए दं.प्र.सं जमानत मुचलके छह माह बाद स्वतं निरस्त समझे जावे।

निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

(विजय टांक)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
क्रम संख्या–1, उदयपुर

12. निर्णय आज दिनांक 29.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(विजय टांक)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
क्रम संख्या–1, उदयपुर